

नियम 94 : साक्षियों की संख्या

आवेदक या याचिकाकर्ता द्वारा बुलाए गए साक्षियों को क्रमिक रूप से पीडब्लू के रूप में और प्रतिवादियों द्वारा आरडब्लू के रूप में क्रमांकित किया जाएगा।
